राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक आपदा प्रबधन/2019/ 157 दिनाक 23/5/19

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायं, राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय– आपदा प्रबधन के सबध में सुरक्षात्मक उपाय करने बाबत्।
सदर्भ– आपदा प्रबधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के परिपत्र क्रमाक 3401–50 दिनाक 2 05.19 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपदा प्रबधन/सहायता एव नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र मे दक्षिण पश्चिम मानसून वर्ष 2019 माह जून मे सक्रिय होने की सम्भावना रो राज्य के जलभराव/बाढ की सम्भावना को देखते हुए जन धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबधन के लिए विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध मे जारी पत्र आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. रवि प्रकाश शर्मा)
अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमाक आपदा प्रबधन/2019/ 157 दिनाक 23/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
3 सयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबधन, सहायता एव नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
5 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

PA/RH/...1679.....

JD(F)

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्राकः एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/बाढ/2019/ 3401-50 जयपुर,दिनाक 2-5-19

परिपत्र

628

दक्षिण–पश्चिम मानसून, वर्ष 2019 पूर्व की भांति राज्य मे माह जून में सक्रिय होने की सभावना है। अतः राज्य मे जलभराव/बाढ की सम्भावना को देखते हुए जन धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि विभिन्न विभाग निम्नलिखित कार्यवाहिया सुनिश्चित करेगे :–

1 <u>मौसम विभाग</u> :– मौसम विभाग द्वारा एक स्थायी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। मानसून की गतिविधियो की नियमित दैनिक जानकारी जिला कलक्टर्स, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा डी.आर.एस.एस. स्टेशन पूर्णतः कार्यशील रखेंगे। वे वर्षा की सूचना नियमित रूप से इस विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा बाढ की सम्भावना मे चेतावनी जारी करने हेतु राज्य स्तरीय आपदा नियन्त्रण कक्ष मे तुरन्त सूचना प्रेषित करायेगे।

2. <u>सिंचाई विभाग</u> :– सिंचाई विभाग 15 जून से बाढ नियन्त्रण कक्ष स्थापित करेगा तथा बाढ या जलभराव की सम्भावना में प्रत्येक जिले के सवेदनशील एवं सकटग्रस्त क्षेत्रो का सामना करने के लिए कार्य योजना बनायेंगे, उपलब्ध वायरलैस सैटों को कार्यशील रखेगे तथा नावों, रक्षा पेटियों, रस्सों, मशालो, टार्चों की व्यवस्था करायेंगे। प्रत्येक जिले मे उपलब्ध संसाधना को चिन्हित कर, उनकी आवश्यकता होने पर अन्य जिलों मे तत्काल भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। गैर सरकारी संगठनों की पहचान कर उनके पास उपलब्ध संसाधन/सामग्री का सुनिश्चितीकरण कर आपदा की स्थिति मे उनका उपयोग करने की व्यवस्था करायेंगे। वर्षाकाल में नदियां, नहरों, बांधों, तालाबों आदि पर निरन्तर भ्रमण करते हुए आने वाले संकट के विषय मे अग्रिम चेतावनी देने का कार्य करेंगे। बांध के गेट खोलने वाले तथा तकनिकी रूप से दक्ष कर्मचारियो की सूची बनाकर अपने कार्यस्थल पर तैनात रहने हेतु पाबन्द किया जावे और नावें, रस्से तथा अन्य उपकरण आदि की बाढ सम्भावित केन्द्रो पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। सभावित संकट की सूचनाऐं तत्काल राज्य स्तरीय आपदा नियत्रण कक्ष व सभी सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे व मुख्यालयों पर हर समय जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।

3. <u>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग</u> :– वर्षाकाल मे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पम्प सैटो की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा जहां ज्यादा बाढ आने की सम्भावना है वहां व्यापक मात्रा मे पम्प सैटो की व्यवस्था रखी जावे। इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था व पेयजल स्त्रोतों के क्लोरीफिकेशन की समुचित व्यवस्था की जावे, ताकि दूषित पेयजल जनित बीमारिया फैलने की सम्भावना न रहें।

4 <u>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग</u> :– वर्षाकाल में नियत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूँ, केरोसीन, अन्य खाद्य सामग्री के भण्डारण, उसके वितरण की

व्यवस्था व वितरण के स्थान का उल्लेख आदि सूचनाओ की पारदर्शिता के साथ–साथ उनकी उपलब्धता की व्यवस्था के लिए जिला रसद अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिये जावें तथा बाढ की स्थिति में स्वैच्छिक सगठन भी पीडित व्यक्तियो तक समय रहते पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जावे।

5 <u>स्थानीय निकाय विभाग</u> :– वर्षाकाल मे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। शहर की सडकों की मरम्मत एवं नालो की सफाई की व्यवस्था 15 जून से पूर्व कर ली जावे। निचले स्तर से प्रभावित व्यक्तियों/बस्तियों को ऊचे क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने हेतु वहा स्थित धर्मशाला, सार्वजनिक स्थल आदि को चिन्हित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। यह भी निर्देश दिये जाते है कि बाढ/वर्षा के एकत्रित पानी को निकालने के लिए पम्प सैटों का प्रबन्ध करना, मृत पशुओ, मलवा, कचरा आदि को हटाने एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपाय, जैसे–मलेरियारोधी उपाय, कटे हुए फलों और सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबन्ध आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

6 <u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</u> :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। जीवन रक्षक दवाईयां, बाढ के समय आवश्यकतानुसार मोबाईल चिकित्सा दल के गठन की व्यवस्था की जावे। बाढ के दौरान तथा उसके उपरान्त फैलने वाली बिमारियो जैसे–हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा सम्बन्धी बिमारियां, फूड पॉइजनिग आदि के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा मे दवाईयां उपलब्ध रखी जावें। दूषित जल से बचाव व क्लोरिन की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।

7. <u>भारत संचार निगम</u> :– सभी जिलों मे जिला स्तरीय नियत्रण कक्ष का टॉल फ्री नम्बर 1077 को निरन्तर दुरूस्त रखा जावे तथा आपदा की स्थिति मे भी संचार व्यवस्था अबाधित रखने की व्यवस्था कराई जावे। आवश्यकता होने पर मोबाईल टावर्स स्थापित करने का प्रबध किया जावे।

8 <u>डाक एवं तार विभाग</u> :– जलभराव/बाढ के दौरान टेलीग्राम व पोस्टल व्यवस्था हेतु विशेष व्यवस्था की जावे।

9 <u>पुलिस विभाग</u> :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। होमगार्ड एवं आर.ए.सी. की प्रशिक्षित व अन्य कम्पनियां तैयार रखी जावे। पर्याप्त मात्रा में तैराक एवं नावों की व्यवस्था तथा गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। पर्याप्त जीवन रक्षक यंत्रो जैसे जैकिट, रस्से, टार्च, संचार तंत्र, कानून व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। यदि बचाव यंत्र किराये पर मिलते हों तो उनकी दरे, निविदा आमत्रित कर पूर्व से ही प्राथमिकता से निर्धारित कर लें और उनको पाबन्द कर दें, ताकि बाढ़ से सम्भावित स्थानों पर उनका उपयोग तत्परता से किया जा सके। **आवश्यकतानुसार गोताखोरों को प्रशिक्षण दिया जावे, ताकि आवश्यकता पडने पर गोताखोरों की कमी नहीं पडे तथा कन्टीजेन्सी प्लान तैयार कर इस विभाग को भिजवाया जावे।** गत वर्षो मे एस.डी.आर.एफ. मद से उपलब्ध कराए गए उपकरणों की सूची तत्काल उपयोग की दृष्टि से तैयार रखें तथा यथा आवश्यक प्राथमिकता पर उपलब्ध करावें।

10 <u>राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)</u> :– प्रदेश मे राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF) को 08 कम्पनियो में विभाजित कर आपदा मोचन हेतु राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर एवं 01 कम्पनी बटालियन मुख्यालय जयपुर में नियोजित की गई है, जो कि आपदा के समय अपनी विशेष सेवायें

प्रदान करेगे। राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF) के पास बाढ़ राहत व बचाव हेतु Inflatable boat, Fibre rescue boat, Rope Synthetic kernmantle rope, एव अन्य उपकरण उपलब्ध है, इनकी सेवायें पूरे राज्य को उपलब्ध होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त विषम परिस्थितियों मे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेवायें भी प्राप्त की जा सकती है। राज्य को सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत NDRF की बटालियन का मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) में है तथा राजस्थान में नारोली, जिला अजमेंर में स्थित NDRF टीम जिसके Dy. Comdt. Sh.A.S. Chauhan, (मो. 9414005412) है की सेवाये भी प्राप्त की जा सकती है।

आपदा के समय त्वरित रेस्पोन्स हेतु राज्य आपदा मोचन बल अपनी प्रशिक्षित टीम, आवश्यक साज–सामान व उपकरण तथा घटना स्थल पर त्वरित रूप से पहुंचने हेतु ससाधन के संबंध मे सभी पूर्व आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें।

11 <u>विद्युत वितरण निगम</u> :– वर्षाकाल मे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु आवश्यक उपकरण पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। यदि कही पर ट्रान्सफारमर जमीन पर पडे हैं तो उन्हे डी.पी. पर रखवाया जावे। ढ़ीले तारों को कसा जाये व कनेक्शनो को टाईट किया जाए।

12 <u>जिला आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ</u> :– सभी जिला कलक्टर अपने जिलों का आपदा प्रबन्धन एक्शन प्लान एक बार रिव्यू कर लें। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकें कर लेवें। सेना एवं वायु सेना के साथ सामन्जस्य स्थापित कर लें। संबंधित विभागों के अधिकारियो के साथ, संभावित खतरे वाले स्थानो का दौरा कर ले, ताकि स्थितियों का पूर्व आभास रहे साथ ही साप्ताहिक समीक्षा बैठके अवश्य रखी जावें। सभी महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों की सूची बनाकर आपदा प्रबन्धन से जुड सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को उपलब्ध करावें तथा जिले की वेबसाईट पर डाले। अपनी वेबसाईट को अपडेट भी करें। IDRN Website को भी update करे।

13 <u>पशुपालन विभाग</u> :– बाढ़ के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा नावों एवं गोताखोरों की सूची तैयार कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाई जावे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे, पशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं मृत पशुओं का सुरक्षित निस्तारण करने का स्थान भी सुनिश्चित करें।

14 <u>सार्वजनिक निर्माण विभाग</u> .– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। ऐसे सार्वजनिक भवनो की पहचान की जाए जो वर्षाकाल में गिर सकते हैं। इनकी मरम्मत करवाना, अनुपयुक्त पाये जाने पर उनको गिरा देना। सडक मार्ग से गुजरने वाले नदी–नाले, रपट, कलवर्ट आदि पर होकर वर्षा का पानी बह रहा हो, तो उन स्थानो को चिन्हित कर दोनो और साईनबोर्ड लगाकर यातायात प्रतिबन्धित किया जाये। सभावित खतरो वाले रपट, पुलियाओ पर लोहे की जजीर की व्यवस्था की जावे।

सभी जिला कलक्टर सभी विभागों की रिव्यू मीटिंग आयोजित कर यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त निर्देशानुसार कार्य हो चुके हैं या नहीं, यदि नहीं तो आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करावें तथा कन्टीजेन्सी प्लान तैयार कर इस विभाग को भिजवाया जावे।

सभी जिला कलक्टर्स को जिला आपदा प्रबन्धन योजनाओ को अपडेट करने हेतु निर्देश दिये जाते है कि 15 जून, 2019 तक सभी जिलों की आपदा प्रबन्धन योजनाऐ अपडेट

कर इस कार्यालय का सोफ्ट कॉपी (सीडी) भिजवाये तथा आईडीआरएन की वेबसाईट मे उपलब्ध सूचनाओ को आदिनांक अपडेशन करे। जिला कलेक्टर 15 जून, 2019 से पूर्व सभी आवश्यक तैयारिया कर इस विभाग को अवगत करावे।

अत. सभी सम्बन्धित विभागो को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ जिला अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें और स्पष्ट रूप से आगाह कर देवें कि आने वाले मानसून के समय बिना जिला कलक्टर की अनुमति के वे मुख्यालय नहीं छोडे और विभागीय वाछित सामग्री/उपकरणो के साथ सम्पर्क में रहें। सभी सम्बन्धित अधिकारियों के नाम पद, टेलीफोन नम्बर व पते जिला कलक्टरो के पास उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि आवश्यकता पडने पर उनसे वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सके। यदि कोई आपदा आती है, तो जिला प्रशासन के साथ मिलकर उसका निराकरण त्वरित गति से करवायेंगे।

सभी विभागाध्यक्षो तथा जिला कलक्टरों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा बाढ सहिता की प्रति पूर्व मे भिजवाई गयी है। बाढ सहिता आपदा प्रबन्धन एव सहायता विभाग की Website "dmrelief.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। इसमें बाढ के समय की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत दिशा–निर्देश सभी विभागाध्यक्षों एवं जिला कलक्टर्स को दिये गये हैं। बाढ़ सहिता के अध्याय 2 के बिन्दु सख्या vii पर सम्बन्धित विभागों के लिए अंकित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। राज्य की आपदा प्रबन्धन योजना भी वेब–साईट पर उपलब्ध है जिसके भाग–2 मे बाढ बचाव कार्यों का विभागवार सम्पूर्ण उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमत्री, राजस्थान।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र,सहायता एवं ना सु. विभाग, राज0 जयपुर।
3 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4 समस्त अति मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5 समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6 समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7 समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8 मुख्य अभियंता, सिंचाई/सा.नि.विभाग/राज.राज्य विद्युत वितरण निगम /जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9 निदेशक, मौसम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पशुपालन राजस्थान, जयपुर।
11 अति. महानिदेशक पुलिस, राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF), जयपुर।
12 निदेशक, निदेशालय जन सम्पर्क, जयपुर।
13 Dy. Comdt. E/6 BN NDRF, GRP Quarters Opposite 11 RAC BN, P.O. Nareli District Ajmer.

सयुक्त शासन सचिव